भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 33
सोमवार, 20 जुलाई, 2026 (29 आषाढ़, 1948, (शक((को दिया जाने वाला उत्तर

देश में सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) मिश्रण संबंधी लहन्य

33. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि विश्व आर्थिक मंच की वर्ष 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपीय संघ (ईयू), यूनाइटेड किंगडम (यूके), जापान तथा अमेरिका (यूएस) सहित अनेक देशों ने 10 से 34 प्रतिशत तक के काफी उच्चतर सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) मिश्रण लक्ष्य निर्धारित किए हैं जबकि भारत का एसएएफ मिश्रण लक्ष्य 1-5 प्रतिशत पर तुलनात्मक रूप से कम बना हुआ है;

(ख) क्या यह अंतर भारत के विमानन क्षेत्र के कार्बन उत्सर्जन में कमी (डीकार्बोनाइजेशन) संबंधी लक्ष्यों, ऊर्जा संक्रमण के प्रयासों तथा इस क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर सकता है; और

(ग) सरकार द्वारा एसएएफ के घरेलू उत्पादन, अवसंरचना तथा मिश्रण संबंधी लक्ष्यों को बढ़ाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) ने अंतरराष्ट्रीय विमानन से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बाजार आधारित उपाय यानी अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग रिडक्शन स्कीम (कोर्सिया) को अपनाया है। भारत, आईसीएओ का सदस्य देश होने के नाते वर्ष 2027 से कोर्सिया के अनिवार्य चरण का अनुपालन करने के लिए बाध्य है। कोर्सिया योजना के तहत एयरलाइनों को निर्धारित आधार रेखा से ऊपर अपने उत्सर्जन की भरपाई करने की आवश्यकता होती है। एयरलाइंस या तो सतत विमानन ईंधन (एसएएफ) सहित कम कार्बन विमानन ईंधन का उपयोग कर सकती हैं या आईसीएओ द्वारा अनुमोदित उत्सर्जन इकाई कार्यक्रमों से कार्बन क्रेडिट खरीदकर अपने उत्सर्जन की भरपाई कर सकती हैं।

भारत में एसएएफ के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने अंतरराष्ट्रीय परिचालन के लिए पारंपरिक विमानन टर्बाइन ईंधन में एसएएफ के लिए 2027 तक 1%, 2028 तक 2% और 2030 तक 5% के सांकेतिक मिश्रण लक्ष्यों को मंजूरी दी है।

*****